



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या एवं अन्य गम्भीर धाराओं में 06 अभियुक्तगण को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 60,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 136/2024 धारा- 452,304/34,323/34,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एडीजे-एफटीसी द्वितीय कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. लक्ष्मण पुत्र नन्दराम 2. सर्वेश पुत्र कमलापति 3. राहुल पुत्र कमलापति 4. विपिन पुत्र प्रेमचन्द्र 5. अमित कुमार पुत्र लक्ष्मण 6. अन्नू उर्फ ब्रजेन्द्र पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी गण ग्राम औंता थाना राठ जनपद हमीरपुर को धारा- 452,304/34,323/34,504,506 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुये 08 वर्ष के कठोर कारावास व 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



अभियोजक
एडीजीसी रामबाबू
अवस्थी



विवेचक-
उ0नि0 सुरेन्द्र
प्रसाद यादव



पैरोकार
थाना - राठ
का0 सर्वज्ञ सिंह